


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
कमलेश्वरसिंह बनाम प्रशुचिंद (वर्ग 2)

किरम मुकदमा प्रारंभ 111-128 नं० 110 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
5-6-23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 20-6-23 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>20⁶/₂₃ पत्रावली मखगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैंप ग्राम पंचायत लिखवा में पेश हुई । विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शाह पर किये गये । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पुपक से लिखा जाकर शाह पर किया गया । पत्रावली फैसल शुभम होकर नम्बर से सजे ।</p>	<p>हुकमीचन्द शीहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p> 

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल

जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलागिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 110/23 प्रा.पत्र

1- श्री कमलेश्वर सिंह एं श्री मांगु सिंह राजपूत निवासी- केरिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

यनाम

1- श्री प्रगु सिंह एं श्री मांगु सिंह राजपूत निवासी- केरिया तहसील-माण्डल (कौरा)
(सिद्धिपत्र प्राप्त शक)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 3649/1204 कुल कित्ता 01 रकबा 1.0054 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी भुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 3649/1204 कुल कित्ता 01 रकबा 1.0054 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगाश को 600/- रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023